ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पर बिल्हौर में 4,875 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित, यातायात पर दबाव कम होगा

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की मिली अनुमति

सहूलियत

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी के औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कंपनियों को नेटवर्क बिछाने के लिए अनुमति मिल गई है। इससे इन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिल्हौर में 4,875 वर्ग मी. भूमि पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनेगा।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश

सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री

महाना ने कहा कि इससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को सुरक्षित ईंधन की आपूर्ति एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी तथा यातायात पर भी दबाव कम होगा।

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के नेटवर्क के विकास के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) तथा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) गैस कम्पनियों को सुविधा प्रदान करेंगी।

पीएनजी सुरक्षित होने के साथ ही सस्ती भी पड़ती है क्योंकि भण्डारण और परिवहन के व्यय की बचत होती है।

कम्पनी को बैंक गारंटी जमा करनी होगी

खुदाई एवं पुर्नस्थापन नीति के अन्तर्गत् गैस आपूर्ति के लिए भूमिगत् पाइपलाइन डालने में ऐसी तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे यातायात एवं सामान्य कार्यकलापों में बाधा न पड़े। गैस पाइपलाइन बिछाने अथवा पिट या चैम्बर की स्थापना की अनुमति से पूर्व कम्पनी को बैंक गारण्टी जमा करनी होगी। कम्पनी द्वारा की गई खुदाई एवं पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक होने पर अनापत्ति-प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा तथा इसके एक माह के भीतर बैंक गारण्टी वापस कर दी जाएगी।